# <u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

**पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 10/2024** **दायर दिनांकः 15/10/2024**

**उनवान**

1. मोहनी बाई पुत्री देवीलाल
2. श्री किशन पुत्र देवीलाल जातियान धाकड निवासीगण मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>**

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

**<u>आदेश</u>** **दिनाकः 13.01.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 153 का ख0न0 328 की 2.09 है0, ख0न0 335 की 0.07 है0, ख0न0 336 की 0.14 है0 ख0न0 514/330 की 0.16 है0 कुल किता 4 की 2.46 है0 भूमि प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 एवं प्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। उक्त भूमि में प्रार्थी क्रम 1 का नाम मोहनी बाई पुत्री देबिया एवं प्रार्थी क्रम 2 का नाम श्रीकिशन पुत्र देबिया सहवन से गलत अंकित हो गया है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां में खात संख्या 294 का ख0न0 770 की 0.12 है0, ख० नं० [illegible] रकबा 1.24 है०, ख० स० 776 का रकबा 0.30 है०, ख0न0 776/1003 का रकबा 0.10 है० कुल किता 4 का रकबा 1.76 है0 भूमि प्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी क्रम 2 का नाम सहवन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:32:46 IST
Reason: SelfAttested

श्री किशन पुत्र देवीलाल के स्थान पर श्री कृष्ण पुत्र देवीलाल गलत अंकित हो गया हैं जबकि प्रार्थीगण के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात आदि में मोहनी बाई पुत्री देवीलाल एवं श्री किशन पुत्र देवीलाल अंकित है। जिस आधार पर प्रार्थीगण अपने दोनो खातों की जमाबन्दी में अपना नाम मोहनी बाई पुत्री देवीलाल व श्री किशन पुत्र देवीलाल दुरूस्त करवाने बाबत् अप्रार्थी के पास उपस्थित हुए तो अप्रार्थी ने खाते में नाम दुरूस्त करने से इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस आधार पर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम हेतु शपथ पत्र भी आलेखित कर रखा है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी उनका नाम मोहनी बाई पुत्री देवीलाल एवं श्री किशन पुत्र देवीलाल होना प्रमाणित है। यह की बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद न0 1 व 2 में वर्णित प्रार्थीगण के खाते की भूमि में उनका नाम दुरूस्त करवाया जाना सम्भव नही है। नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त नही होने पर प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, मुआवजा आदि से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एव स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 08.03.2024 को अप्रार्थी के पास राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन करने जाने एवं अप्रार्थी द्वारा नाम दुरूस्त करने से इन्कार करते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र एल. आर. एक्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम महेशपुरा तहसील अटरू के खाता संख्या 153 की भूमि में प्रार्थीगण का नाम मोहनी बाई पुत्री देवीलाल व श्री किशन पुत्र देवीलाल एवं खात संख्या 294 ग्राम व माल मेरमाचाह की भूमि में प्रार्थी क्रमांक 2 का नाम श्री किशन पुत्र देवीलाल दर्ज करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:32:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की

रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/29 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल महेशपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 153, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मेरमाचाह सम्वत 2071–74 खाता संख्या 294, आधार कार्ड श्री किशन, मतदाता पहचान पत्र श्रीकिशन, शपथ पत्र श्रीकिशन व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 153 का ख0न0 328 की 2.09 है0, ख0न0 335 की 0.07 है0, ख0न0 336 की 0.14 है0 ख0न0 514/330 की 0.16 है0 कुल किता 4 की 2.46 है0 भूमि में सहखातेदार मोहनी बाई पुत्री देबिया के स्थान पर मोहनी बाई पुत्री देवीलाल तथा श्री किशन पुत्र देबिया के स्थान पर श्री किशन पुत्र देवीलाल तथा ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 294 का ख0न0 770 की 0.12 है0, ख० नं० 774 का रकबा 1.24 है०, ख० स० 776 का रकबा 0.30 है०, ख0न0 776/1003 का रकबा 0.10 है० कुल किता 4 का रकबा 1.76 है0 आराजी में श्री कृष्ण पुत्र देवीलाल के स्थान पर श्री किशन पुत्र देवीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

## –::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खात संख्या 153 का ख0न0 328 की 2.09 है0, ख0न0 335 की 0.07 है0, ख0न0 336 की 0.14 है0 ख0न0 514/330 की 0.16 है0 कुल किता 4 की 2.46 है0 भूमि में खातेदार मोहनी बाई पुत्री देबिया के स्थान पर मोहनी बाई पुत्री देवीलाल तथा श्री किशन पुत्र देबिया के स्थान पर श्री किशन पुत्र देवीलाल तथा ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 294 का ख0न0 770 की 0.12 है0, ख० नं० 774 का रकबा 1.24 है०, ख० स० 776 का रकबा 0.30 है०, ख0न0 776/1003 का रकबा 0.10 है० कुल किता 4 का रकबा 1. 76 है0 आराजी में श्री कृष्ण पुत्र देवीलाल के स्थान पर श्री किशन पुत्र देवीलाल दर्ज किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:32:46 IST
Reason: SelfAttested

के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायी जावे। प्रार्थीगण स्वय अपने स्तर पर आदेश की एक प्रति शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:32:46 IST
Reason: SelfAttested